-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 21.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **बांदा पुलिस द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं आमजन में भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बांदा से 03 अभियुक्तों को 06 माह के लिये कराया गया जिला बदर।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा 03 अभियुक्तों को 06 माह के लिए जिला बदर कराया गया है। प्रकरण में माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बांदा के द्वारा उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के उपरांत अभियुक्त को 06 माह के लिए जनपद बांदा से जिला बदर किए जाने का आदेश दिया गया है। बांदा पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनपद में कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखते हुए आमजन की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्यवाही का उद्देश्य जनपद में अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा आम नागरिकों को भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। बांदा पुलिस द्वारा आमजन से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध अथवा आपराधिक गतिविधि की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

जिला बदर किए गए अभियुक्तों का विवरण निम्नवत है-

1. मिजाजीलाल पुत्र रामशरण उर्फ पीलीवानव उर्फ गफलुवा, निवासी ग्राम मुरलिया पुरवा थाना अतर्रा, जनपद बांदा।
2. सिराज पुत्र गुलजार निवासी ग्राम कटरा थाना कालिंजर हाल पता थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. रामकिशोर उर्फ बड़कउना पुत्र केशपति निवासी ग्राम बैरफ थाना मरका जनपद बांदा।